न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी	–	**मनमोहन चन्देल, आर.जे.एस. (यू.आई.डी नंबर 01199)**
बामुकदमा नम्बरी फौजदारी सं	–	**198/2016**
सी.आई.एस. नंबर	–	**247/2016**
सीएनआर संख्या	–	**RJSG120004822016**
निर्णय दिनांक	–	**07–07–2026**

सरकार बनाम सरोज वगैरह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 618/2015 पुलिस थाना सूरतगढ शहर

अपराध अंतर्गत धारा 03, 04, 05 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम

भाग–प्रथम

A

परिवादी	मोहम्मद अयूब तत्कालीन पुलिस उपअधीक्षक वृत्त सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. सरोज पत्नी पप्पुराम पुत्री सुखराम, निवासी वार्ड नं. 3 हैड के पास सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर 2. ओमप्रकाश पुत्र सुखराम, निवासी रामपुरा रंगमहल पीएस पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
मफरूर अभियुक्त	3– नेहा उर्फ प्रिया पुत्र स्व. अशोक कुमार पत्नी मदनलाल उर्फ सतु, निवासी नर्सिंग कालोनी मलोट फाटक के पास डबवाली हरियाणा (मफरूर दिनांक 15.05.2026
उन्मोचित अभियुक्तगण	4. फिरोज खां पुत्र ईशाक अली, निवासी सरदारगढ पीएस सूरतगढ सदर, 5. सुरेश कुमार पुत्र रतनलाल, निवासी सरदारगढ, हाल नवा हनुमानगढ (उन्मोचित दिनांक 20.02.2019)
अधिवक्ता अभियुक्तगण पक्ष	श्री ताराचंद स्वामी, अभियुक्तगण की ओर से।

की ओर से	

B

अपराध की दिनांक	13.12.2015
एफआईआर की दिनांक	13.12.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	02.03.2016
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	20.02.2019
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	23.01.2024
Statement U/S 313 Cr.P.C Recorded On	15.04.2026, 18.04.2026
निर्णय आरक्षित किए जाने की दिनांक	01.07.2026
निर्णय दिनांक	07.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	––

C

अभियुक्तगण का विवरण

क्र.सं	अभियुक्तगण का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दंडादेश	धारा -428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्तगण द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1.	सरोज व ओमप्रकाश	13.05.2015	16.12.2015	03, 04, 05, पीटा एक्ट	दोषमुक्त	––	13.12.2015 से 16.12.2015 तक

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

Rank	Name	Nature of Witness
पी.डब्लू. 1	योगेश कुमार	सुसंगत साक्षी
पी.डब्लू. 2	रामलाल उर्फ रामप्रकाश	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू. 3	रणवीर सिंह	सुसंगत साक्षी
पी.डब्लू. 4	प्रकाश कौर	सुसंगत साक्षी
पी.डब्लू. 5	हेतराम	सकूनत तस्दीक कर्ता
पी.डब्लू. 6	रामकुमार	सुसंगत साक्षी
पी.डब्लू. 7	दलजीत कौर	जाब्ता साक्षी
पी.डब्लू. 8	शिवलाल	मालखाना प्रभारी
पी.डब्लू. 9	हनुमान	जाब्ता साक्षी
पी.डब्लू. 10	जिन्द्रपाल	जाब्ता साक्षी
पी.डब्लू. 11	रामावतार	जाब्ता साक्षी
पी.डब्लू. 12	मोहम्मद अयुब	परिवादी/तलाशी, जब्ती, बरामदगीकर्ता
पी.डब्लू. 13	रायपाल	पक्षद्रोही साक्षी
पी.डब्लू. 14	नारायण सिंह	बरामदगी गवाह
पी.डब्लू. 15	मोहनलाल	जाब्ता साक्षी
पी.डब्लू. 16	सुरेश मील	अनुसंधान अधिकारी

ब– बचाव गवाह

Rank	Name	Nature of Witness
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

Rank	Name	Nature of Witnes
––	––	––

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ –अभियोजन प्रदर्श

Sr.No.	Exhibit Number	Description
1.	प्रदर्श पी० 1	फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी
2.	प्रदर्श पी० 2	पुलिस बयान गवाह रामलाल उर्फ रामप्रकाश
3.	प्रदर्श पी० 3	नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी० 4	हालात मौका
5.	प्रदर्श पी० 4	अभियुक्ता सरोज की सकूनत तस्दीक का प्रमाण पत्र
6.	प्रदर्श पी० 5 व 5 ए	मालखाना रजिस्टर व उसकी प्रमाणित प्रति
7.	प्रदर्श पी० 6	फर्द इत्तिला
8.	प्रदर्श पी० 7	मुलजिमान की गिरफतारी सूचना
9.	प्रदर्श पी० 7	वजह सबूत मार्क ए 2000 अभियुक्तगण से फर्द जब्त किए गए जिन पर लगी चिट्ट दस्तखती
10.	प्रदर्श पी० 8	वजह सबूत मार्क बी शिल्डहालत में पेश हुआ जिस पर लगी चिट्टदस्तखती

11.	प्रदर्श पी० 9	चाक एफआईआर
12.	प्रदर्श पी० 10 व 13	रपट रोजनामचा आम की प्रतियां
13.	प्रदर्श पी० 14	अभियुक्तगण सरोज, नेहा, ओमप्रकाश, फिरोज खां, सुरेश कुमार के विरूद्ध जुर्म धारा 3, 4, 5 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में पेश आरोप पत्र

ब– बचाव प्रदर्श

Sr.No.	Exhibit Number	Description
––	––	––

स–न्यायालय प्रदर्श

Sr.No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

द – भौतिक वस्तुएं

Sr.No.	Exhibit Number	Description
––	––	––

निर्णय **दिनांकः– 07.07.2026**

1. उल्लेखनीय है कि विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 3, 4, 5 पीटा एक्ट न्यायालय हाजा में विचारण वास्ते पेश किया, जो नियमानुसार पंजीबद्ध किया गया, जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 13.12.15 को वक्त 3.15 पी.एम. पर श्री सुरेश मील सउनि ने हाजिर कार्यालय होकर मन पुलिस उप अधीक्षक मौहम्मद अयूब को इतला दी कि वार्ड नं. 3 में सरोज बावरी व ओमप्रकाश बावरी के मकान में बाहर से औरतें बुलवा कर कमीशन के आधार पर वैश्यावृति करवा रहे हैं, सूचना विश्वसनीय है एवं इस प्रकार के अपराध से समाज में बुरा असर पड़ता है अतः उक्त सूचना पर मन पुलिस उप अधीक्षक मौहम्मद अयूब ने पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर से श्री मोहनलाल सउनि, श्री रामकुमार कानि. 1187 श्रीमति प्रकाशकौर महिला कानि. 1396 श्री रामावतार कानि. 261, श्री जिन्द्रपाल कानि. 1246 मय जीप सरकारी ड्राईवर रायसिंह को तलब कर कार्यालय बुलाया व कार्यालय स्टाफ से श्री रणवीरसिंह हैड कानि. 129, हनुमानराम कानि. 461. श्री योगेश कुमार कानि. 1285 श्रीमति दलजीतकौर महिला कानि. 1768, गाडी सरकारी ड्राईवर जसकरणसिंह कानि. 784, गनमैन श्री नियामत अली कानि. 1216 लेपटोप, प्रिन्टर मय बेट्री, इन्वेस्टीगेशन बॉक्स को हमराह लेकर इतला की तस्दीक हेतु रवाना वार्ड नं. 3 मकान श्रीमती सरोज बावरी व ओमप्रकाश बावरी को हुआ। रास्ते में जाते वक्त डिग्री कॉलेज के पास दो व्यक्ति मिले जिनसे उनका नाम पता पूछा तो अपना नाम 1. श्री जगजीवनसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख उम्र 37 साल निवासी वार्ड नं. 3 हैड के पास सूरतगढ 2. श्री रामलाल उर्फ रामप्रकाश पुत्र श्री मामराज जाति नायक उम्र 35 साल निवासी वार्ड नं. 3 हैड के पास सूरतगढ बताया जिन्हे इस कार्यवाही बाबत इतला से अवगत करवा कर इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने के लिये पूछा गया तो दोनों ने अपनी स्वैच्छिक सहमति प्रकट को जिस पर इन्हें हमराह लिया जाकर रवाना होकर वक्त 3.50 पी.एम. पर मकान ओमप्रकाश बावरी व श्रीमती सरोज बावरी के पहुंचा तो मकान का आगे का दरवाजा बन्द मिला चूंकि खाना तलाशी का वारन्ट लिया जाना इस समय सम्भव नहीं है, खाना तलाशी का वारन्ट लेने में समय लगेगा तब तक संदिग्धो का निकल जाना सम्भव है। अतः बिना किसी विलम्ब के स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में मकान का दरवाजा खोल कर अन्दर प्रवेश किया तो मकान में सामने दो कमरे बने हुये हैं व एक रसोई बनी हुई है। बाहर बाखल में प्रवेश करते ही एक व्यक्ति बैठा मिला, जिससे उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम ओमप्रकाश पुत्र श्री सुखराम जाति बावरी उम्र 27 साल निवासी रामपुरा रंगमहल पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ बताया जिस पर इस मकान मालिक के बारे में पूछा तो मकान अपनी बड़ी बहन श्रीमती सरोज पुत्री सुखराम पत्नि श्री पप्पुराम जाति बावरी उम्र 29 साल निवासी वार्ड नं. 3 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का होना बताया, सामने बने कमरा में से वाई साईड में बने कमरा को दोनों स्वतंत्र गवाहान की मौजुदगी में

खोल कर देखा तो कमरे के अन्दर लगे बैड पर एक औरत व एक व्यक्ति नग्न अवस्था में एक दुसरे के गले में हाथ डाल कर अटखेलियां करते हुये पाये गये जो मन पुलिस उप अधीक्षक व जाप्ता एवं स्वतंत्र गवाहान को देखकर हड़बडा कर खड़े होकर अपने पास पडे कपड़े पहनने लगे, जिस पर दोनों को कपडे पहनने का मौका दिया जाकर महिला काति, श्रीमति प्रकाशकौर नं. 1396 से महिला का नाम पता पूछवाया तो उसने अपना नाम श्रीमती सरोज पत्नि पप्पुराम पुत्री सुखराम , उम्र 29 साल निवासी वार्ड नं. 3 हैड के पास सूरतगढ़ होना बताया, दुसरे पास सोये हुये व्यक्ति से मन पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम फिरोजखां पुत्र श्री इशाकअली, उम्र 21 साल निवासी सरदारगढ पुलित थाना सूरतगढ सदर जिला श्रीगंगानगर का होना बताया, जिस पर दोनो को जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में रहने की हिदायत कर महिला कानि. श्रीमति प्रकाशकौर व श्री मोहनलाल सउनी को उसी कमरा में छोड कर मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता के दाहिनी साईड में बने कमरा में प्रवेश कर देखा तो दीवार के पास लगी चारपाई पर एक औरत व एक आदमी नग्न अवस्था में चारपाई पर अटखेलीयां करते हुये मिले जिन्हे अपने कपडे पहनने की हिदायत की व श्रीमति दलजीतकौर महिला कानि. से औरत का नाम पता पूछवाया तो उसने अपना नाम नेहा उर्फ प्रिया पुत्री स्वं. श्री अशोककुमार जाति अरोडा पत्नि श्री नरेशसिंह उर्फ नंदी उम्र 25 साल निवासी किराये का मकान श्रीमति अंगुरी पत्नि मदनलाल उर्फ सतु निवासी नर्सिंग कॉलोनी मलोट फाटक के पास डबवाली (हरियाणा) बताया, पास में सोये हुये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम सुरेशकुमार पुत्र श्री रतनलाल उम्र 21 साल निवासी सरदारगढ हाल–नवां हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ का होना बताया, जिस पर दोनों को कमरा से बाहर निकाल कर महिला श्रीमति नेहा की तलाशी महिला कानि. श्रीमती दलजीतकौर से लिवाई गई तो उसके पास पांच सौ रूपये का एक नोट मिला व सौ रूपये का एक नोट मिला इस प्रकार कुल 600 रुपये मिले जिनके चारे में पूछने पर श्रीमति नेहा उर्फ प्रिया ने 500 रूपये उसके साथ सम्भोग करने की एवज में सुरेशकुमार द्वारा देना बताया व सुरेशकुमार की तलाशी मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ली गई तो उसके पास एक पर्स बरंग भूरा प्यूमा लिखा हुआ खाली पर्स व एक मोबाइल लावा कम्पनी का मिला। दुसरे कमरा में मिली दुसरी औरत श्रीमती सरोज की तलाशी महिला कॉनि० श्रीमति प्रकाशकौर से लिवाई कई तो उसके पास एक हल्का गुलाबी रंग का पर्स जिला जिसमें सात सौ दस रूपये मिले जिसमें एक नोट पांच सौ का व 2 नोट सौ–सौ रूपये के व एक नोट दस रूपये का मिला, रूपयों की बाबत पूछा तो पांच सौ रूपये अपने साथ फिरोजखां से संभोग करने की एवेज में लेना बताया व 210 रूपये अपने पास

पहले से होना बताया, एक मोबाईल बलूम एक्स–5 कम्पनी का बरंग काला उसने बैड पर से अपने हाथ में ले रखा मिला, फिरोजखां की तलाशी ली गई तो उसके पास एक पर्स वुडलेण्ड कंपनी का जिसमें 120 रूपये मिले उसमें एक नोट पचास रूपये का व 7 नोट 10–10 रूपये के मिले। एक मोबाईल बरंग काला एचटीसी कंपनी का मिला, बाहर बैठे व्यक्ति ओमप्रकाश की तलाशी श्री रणवीर हैड कानि.129 से लिवाई गई तो उसके पहनी हुई शर्ट की जेब में 2000 रूपये पांच–पांच सौ के चार नोट मिले जिनकी बाबत पूछने पर ओमप्रकाश ने बताया कि एक हजार रूपये उसके पास पहलने से थे तथा एक हजार रूपये इन दोनों सरोज व नेहा के साथ फिरोज व सुरेशकुमार द्वारा संभोग करने की एवेज में दिये गए रूपयों में कमीशन के होना बताया, दो मोबाईल सैट जिसमें एक सैमसंग कंपनी का बरंग सलेटी व दूसरा लावा कंपनी का बरंग काला मिले। उक्त औरतों व आदमियों की तलाशी लेने के बाद पुनः दोनों कमरों की तलाशी ली तो बांये कमरा में लगे बैड के सिराना में कोबरा कंपनी के 5 कण्डोम मिले जिनके बारे में पूछने पर श्रीमती सरोज ने बताया कि जब ग्राहक से सैक्स करते है तो कण्डोम का उपयोग करते हैं। दूसरे कमरे की तलाशी ली तो चारपाई के उपर कोबरा कंपनी के चार कण्डोम मिले जिसकी बाबत श्रीमती नेहा उर्फ प्रिया से पूछा तो उसने यह कण्डोम ग्राहक से सैक्स करते समय उपयोग में लेने के लिये रखना बताया, उक्त दोनों महिलाओं से मौका पर महिला कानि. की उपस्थिति में दरियाफत की गई तो इन दोनों महिलाओं ने बताया कि हम गरीब औरते हैं एवं भरणपोषण का और कोई साधन नहीं होने के कारण व अपना व अपने परिवार का जीवन निर्वाह करने के लिए देह व्यापार करती हैं। श्रीमती नेहा उर्फ प्रिया ने बताया कि वह पिछले 2–3 दिनों से यहां श्रीमती सरोज व ओमप्रकाश के पास आई हुई हैं तथा देह व्यापार कर रूपयों का बंदोबस्त करती है तथा सरोज ने बताया कि वह भी रूपयों के लिए देह व्यापार करती है तथा बाहर से आने वाली औरतों से वह व उसका भाई ओमप्रकाश देह व्यपार के रूपयों में से कमीशन भी लेते हैं। इस प्रकार ओमप्रकाश व उसकी बहिन श्रीमती सरोज द्वारा अपने घर पर स्वयं सरोज द्वारा व बाहर से श्रीमती नेहा उर्फ प्रिया नामक औरत को बुला कर अनैतिक देह व्यापार किया/करवाया जाना पाया गया है। जिनका यह कार्य आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है, जो जुर्म धारा 3, 4, 5, 6 अनैतिक देह व्यापार (निवारण अधिनियम 1956) के तहत दंडनीय अपराध है। अतः मुलजिमान ओमप्रकाश, श्रीमती सरोज, श्रीमती नेहा उर्फ प्रिया, फिरोज खां, सुरेशकुमार को जुर्म से आगाह कर हस्बकायदा जरिये फर्द हाजा गिरफतार किया गया। ओमप्रकाश के पास मिले कुल 2000 रूपये में से 1000 रूपये, श्रीमती सरोज के पास मिले कुल 710 रूपये में से अनैतिक प्राप्त 500 रूपये, नेहा के पास मिले

कुल 600 रूपये में से अनैतिक देह व्यापार के पेटे प्राप्त 500 रूपये कुल अनैतिक देह व्यापार तीनों द्वारा प्राप्त की गई राशि 2000 को बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिा जाकर एक सफेद कपड़ा की थैली में डालकर सील मोहर कर वजह सबूत पर मार्क ए अंकित किया गया व फिरोजखां के पास मिले 120 रूपये एक मोबाईल, ओमप्रकाश के पास शेष बचे 1000 रूपये व 2 मोबाईल को बतौर जामा तलाशी कब्जा पुलिस में लिया गया। जिस बैड व चारपाई पर उक्त चारों सरोज व फिरोजखां तथा नेहा व सुरेश कुमार सोये हुए एक दूसरे के साथ संभोग करने की तैयारी स्थिति में थे उस बैड पर 5 कण्डोम व चारपाई पर 4 कण्डोम बिना उपयोग किए हुए मिले, इसके अलावा कमरा के बाहर उपयोग में लिये हुऐ एक स्टील की डस्टबिन जिसके अंदर 15 कण्डोम उपयोग में लिए हुए मिले व पांच रेपर कोबरा कंपनी के मिले, जिन्हें बतौर वहज सबूत कब्जा पुलिस में लिया जाकर एक कपड़ा की थेली में डाकर मौक पर सील मोहर कर मार्क बी अंकित किया।

3. शिकायतकर्ता की तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना सूरतगढ शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 618/2015 अपराध अंतर्गत धारा **3, 4, 5, 6** अनैतिक देह व्यापार(निवारण अधिनियम 1956) में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान मुलजिमान के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा **3, 4, 5** अनैतिक देह व्यापार(निवारण अधिनियम 1956) में न्यायालय में पेश किया गया,

4. **नोट–** उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 20.02.2019 को बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण फिरोजखान व सुरेश कुमार के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु कोई आधार विद्यमान नहीं होने से उक्त दोनों अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 3, 4, 5 व 6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अपराध के आरोप से उन्मोचित किया जा चुका है तथा अभियुक्तगण सरोज व ओमप्रकाश के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाए जाने से उक्त अभियुक्तगण को धारा **3, 4, 5** अनैतिक देह व्यापार(निवारण अधिनियम 1956) के आरोप की विशिष्टियां मौखिक रूप से सुनायी व समझायी गयी तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. न्यायालय के समक्ष अवधारणीय बिन्दु यह है कि–

1) **क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 13.12.2015 को समय करीब 3.50 पीएम या इसके लगभग वार्ड नंबर 3, सूरतगढ में अपने मकान को वैश्यागृह के रूप में**

संचालित किया जा रहा था व उससे पूर्व अन्य स्त्रियों की वैश्यावृत्ति से उपार्जित धन पर अपना जीवन निर्वाह किया जा रहा था तथा नेहा उर्फ प्रिया से वैश्यावृत्ति करवायी जा रही थी या उसे वैश्यावृत्ति करने हेतु उत्प्रेरित किया जा रहा था?

2) **यदि हां तो इसके लिये अभियुक्तगण को किस प्रकार के दण्ड से दंडित किया जाये ?**

6. हमने दोनों ही पक्षों को लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया, परंतु दोनों ही पक्षों ने लिखित बहस पेश नहीं कर मौखिक बहस ही करना चाहा जिसकी अनुमति दी गई और बहस अंतिम सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा विरचित चार्ज की पुष्टि हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, वह पूर्णतः अखंडनीय एवं अकाट्य प्रकृति की रही है। बचाव पक्ष अभियोजन साक्ष्य पर खंडन नहीं कर पाया है, न ही कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, जबकि अभियोजन पक्ष के समस्त साक्षियों ने एक –दूसरे के कथनों की पुख्ता ताईद की है, इसलिए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उचित सजा से दंडित किए जाने का निवेदन किया है।

7. जबकि योग्य अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान एजेंसी द्वारा प्रारंभ से ही न केवल कानूनी रूप से, अपितु तथ्यात्मक रूप से उनके मुलजिमान को झूठा फंसाया है, इसी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा दो आरोपीगण को पूर्व में उन्मोचित भी किया गया है। अधिनियम की मंशा मुताबिक कोई विशेष पुलिस प्राधिकारी इसमें नियुक्त नहीं रहा है। इस केस का जब्तीकर्ता एवं तलाशीकर्त मोहम्मद अयूब इस एक्ट की मंशा मुताबिक विशेष पुलिस प्राधिकारी को ऐसा कोई प्रमाण अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 15 का खुला उल्लंघन किया गया है, कोई स्वतंत्र साक्षी वारदात स्थल के आसपास के संयोजित नहीं किए गए हैं, जो स्वतंत्र साक्षी संयोजित किए गए है, वह थाने के पास से ही लिए गए थे, जिनमें भी कोई महिला गवाह नहीं थी और स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अभियोजन पक्ष के जाब्ता के साक्षियों में ही गंभीर और घोर विरोधाभास स्पष्ट रूप से जिरह में सामने आया है। पग–पग पर अभियोजन पक्ष की कहानी संदेह के दलदल में धंसती रही है, जो

रिकॉर्ड से भी साबित है, इसलिए उनके पक्षकारान को बाइज़्ज़त बरी या दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

8. हस्तगत प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति पर गौर करने से पूर्व हम सर्वप्रथम वैधानिक स्थिति का परीशिलन करना चाहेंगे और इस विषय में हमारे द्वारा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के महत्वपूर्ण एवं प्रकरण की विषयवस्तु से संबंधित प्रावधानों का अवलोकन किया गया। सुविधा की दृष्टि से सुसंगत प्रावधानों का ज्यों का त्यों उद्धहरण हम यहां करना चाहेंगेः–

9. **नोटः–** उपरोक्त वर्णित कानून को आगे की विवेचना में हमारे द्वारा अधिनियम शब्द से ही संबोधित किया जावेगाः–

अधिनियम की धारा– 2 (क) वेश्यागृह को परिभाषित करती है जिसमें प्रावधानित हैः "वेश्यागृह" के अन्तर्गत कोई मकान, कक्ष, वाहन, या स्थान मकान, कक्ष, वाहन या स्थान या कोई भाग होता है, जो लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजन के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए अथवा दो या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए किया जा रहा हो;

इसी प्रकार अधिनियम की धारा– 2 (च) वेश्यावृति को परिभाषित करती है जिसमें प्रावधानित हैः वेश्यावृत्ति" से अभिप्रेत है, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का लैंगिक शोषण या दुरुपयोग, और अभिव्यक्ति "वेश्या" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

इसी प्रकार अधिनियम की धारा– 2 (झ) विशेष पुलिस अधिकारी को परिभाषित करती है जिसमें प्रावधानित हैः– विशेष पुलिस अधिकारी" से ऐसा पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार द्वारा, विशिष्ट क्षेत्र में पुलिस के कर्तव्यों के प्रभार का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया हो;

इसी प्रकार अधिनियम की धारा– 15 में बिना वारन्ट के तलाशी से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जो कि सुसंगत प्रावधान इस प्रकार है धारा– 15(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई बात अन्तर्विष्ट होने पर भी जब कभी विशेष पुलिस अधिकारी, या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी यथास्थिति को यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हों कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी परिसर में रह रहे किसी व्यक्ति की बाबत कारित हुआ है या हो रहा है

और वांरट के साथ परिसर की तलाशी बिना अनुचित विलम्ब के नहीं की जा सकती है, तो ऐसा अधिकारी उसके विश्वास करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे परिसर में बिना वारंट के प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा।

धारा–15 (2) उपधारा (1) के अधीन तलाशी लेने के पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, यथास्थिति उस परिक्षेत्र के, जिसमें तलाशी लिए जाने वाला स्थान स्थित है, दो या अधिक सम्मानित निवासियों को (जिनमें कम से कम एक महिला होगी) तलाशी के समय उपस्थित रहने और साक्षी होने को बुलाएगा और वैसा करने को उनको या उनमें से किसी को लिखित में आदेश जारी कर सकेगा।

परन्तु परिक्षेत्र के जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान स्थित है, सम्माननीय निवासियों के बारे में अपेक्षा, तलाशी में उपस्थित रहते और साक्षी होने को किसी महिला को लागू नहीं होगी

धारा–15 (3) कोई व्यक्ति जो बिना युक्तियुक्त हेतुक के इस धारा के अधीन तलाशी में जब वैसा करने का लिखित में आदेश उसे परिदत्त या निविदत्त किया हो, उपस्थित रहने और साक्षी होने में उपेक्षा करता है या इन्कार करता है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 187 के अधीन अपराध कारित करने वाला समझा जाएगा।

10. उपरोक्त वैधानिक स्थिति का अवलोकन किये जाने के उपरान्त जब हम हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं की पालना अन्वेषण एजेन्सी द्वारा की गयी अथवा नहीं या इस अधिनियम के अधीन हस्तगत प्रकरण में आरोपीगण पर लगाये गये आरोपों बाबत अपराध के आवश्यक तत्व उपलब्ध है अथवा नहीं, के संबंध में विचार करते है तो स्वयं अभियोजन पक्ष की कहानी के मुताबिक उक्त कानूनी बिन्दुओं के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं होना स्पष्ट रूप से विदित होता है यथा प्रथमतः अभियोजन पक्ष को यह साबित किया जाना था कि अभियुक्ता सरोज तथा उसका भाई ओमप्रकाश अपने घर को वेश्यागृह के रूप या वेश्यावृति के प्रयोजन के लिए संचालित करते है क्योंकि मुताबिक फर्द गिरफतारी बरामदगी राशि व अन्य सामान प्रदर्श पी 01 जिसके आधार पर हस्तगत अभियोग का उद्भव हुआ है उसमें वर्णन मुताबिक वार्ड नंबर 03 पर पूर्व से ही इस संबंध में सुचनाएं पुलिस उप अधीक्षक वृत्त सूरतगढ पीडब्ल्यू 12 मोहम्मद अयूब को लगातार मिलना बताया गया है कि सरोज बावरी तथा उसका भाई ओमप्रकाश अपने घर में औरतें बुलाकर कमीशन लेकर वेश्यावृति करवाते है जैसा कि मोहम्मद अयुब पीडब्ल्यू 12 ने तथा इसके द्वारा प्राधिकृत पुलिसकर्मी श्री सुरेश मील पीडब्ल्यू 16 ने अपने मुख्य परीक्षण के साक्ष्य में भी प्रकट

किया है परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से जो भी मौखिक एवं दस्तावेजी सामग्री हमारे समक्ष प्रस्तुत की गयी है उसमें एसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि उक्त दोनो ही अभियुक्त अपने मकान में लैंगिक शोषण या दुरूपयोग के प्रयोजन के लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए अथवा वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए अपने मकान का उपयोग कर रहे ह, यहां तक कि परीक्षित करवाये गये साक्षीयों तक की साक्ष्य में यह तथ्य समाहित नहीं है कि उक्त दोनों ही अभियुक्त अपने मकान का उपयोग लैंगिक शोषण या दुरूपयोग के प्रयोजन के लिए कर रहे हो और ना ही अभियोजन पक्ष की कहानी के मुताबिक एसा कोई पीडित सम्पूर्ण अनुसंधान के दौरान सामने आया है जिसने उक्त से संबंध में कोई शिकायत प्रस्तुत की हो। यहां तक कि मौके पर से मौजुद मिले बताये गये ग्राहकों तक को अन्वेषण एजेंसी ने अपनी कहानी की पुष्टि के लिये बतौर गवाह संयोजित नहीं किया है और ना ही वेश्यावृति करवाने के लिये अथवा कमीशन प्राप्त करने के लिये अभियुक्तगण ओमप्रकाश एवं सरोज द्वारा तथाकथित बुलवायी गयी महिला नेहा को बतौर गवाह संयोजित किया है अपितु मौके पर मिले दोनों ग्राहकों यथा फिरोज खान व सुरेश कुमार को अन्वेषण एजेन्सी ने धारा 3 4 5 व 6 अधिनियम के तहत आरोपी माना था जिन्हें न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20–02–2019 के माध्यम से उन्मोचित घोषित किया जा चुका है।

11. महज दिनांक 13–12–2015 की कार्यवाही के आधार पर अन्वेषण एजेन्सी ने आरोपीगण सरोज एवं ओमप्रकाश के मकान को वेश्यागृह एवं वेश्यावृति माना है परन्तु इससे पूर्व कभी एसी कोई कार्यवाही इनके विरूद्ध हुई हो अथवा आसपडोसियों द्वारा कभी कोई शिकायत इनके विरूद्ध वेश्यावृत का संचालन अपने मकान में करवाने को लेकर की गयी हो इस संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर मौजूद नहीं है। स्वीकृत रूप से तथाकथित स्थान जहां पर हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को गिरफतार किया जाना बताया गया है, उस स्थान तक की विशिष्टियां अन्वेषण एजेन्सी अथवा स्वयं पुलिस उप अधीक्षक मोहम्मद अयुब पीडब्ल्यू 12 सुरेश मील पीडबल्यू 1, अन्वेषण अधिकारी एवं अन्य पुलिसकर्मीगण नहीं बता पायें है। अन्वेषण के प्रारम्भ से लेकर चार्जशीट पेश किये जाने तक एवं न्यायालय में अभियोजन साक्षीयों की सम्पूर्ण साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने तक किसी भी साक्षी ने इस मकान की विशिष्टियां, पहचान इत्यादि का खुलासा अपने बयानों में नहीं किया है। महज यह कहना कि वार्ड नंबर 03 में अभियुक्तगण सरोज एवं ओमप्रकाश का मकान, इस न्यायालय के विनम्र मत में तथाकथित स्थान को अभियुक्तगण के अनन्य चेतन्य वाला कब्जा साबित नहीं करता है ना ही कोई दस्तावेजी प्रमाण स्वामित्व बाबत अन्वेषण एजेन्सी ने संकलित किये है जिसकी स्वीकारोक्ति समस्त गवाहान द्वारा

भी की गयी है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष का पूर्ण आधार दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी 04 पर टिका हुआ है जो वार्ड नंबर 03 नगरपालिका सूरतगढ के पार्षद हेतराम सुथार द्वारा जारी किया गया है। जिसमें भी केवल यह अंकन है कि वार्ड नंबर 03 हैड के पास श्रीमति सरोज उर्फ संतोष पत्नि पप्पुराम पुत्री सुखराम पांच साल से इस मकान में निवास कर रही है।

12. इस न्यायालय की सुदृढ राय में पार्षद हेतराम अभियोजन पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है और निश्चित रूप से यदि वर्तमान परिवेश में आबादी वाले स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर अथवा स्थान को वेश्यागृह व वेश्यावृति संचालन के उपयोग में लिया जाता है तो इस संबंध में आस पास रहने वाले व्यक्तियों एवं वार्ड के मुखिया पार्षद के संज्ञान में समस्त तथ्य होना और बतौर जिम्मेदार नागरिक व वार्ड मुखिया द्वारा इस संबंध में पुलिस को शिकायत करना सामान्य उपधारणा है परन्तु दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी 04 जो दिनांक 22–12–2015 को वार्ड नंबर 03 के पार्षद हेतराम सुथार द्वारा अन्वेषण एजेन्सी को उपलब्ध करवाया गया है उसमें एसी कोई शिकायत नहीं है और ना ही अन्वेषण एजेन्सी ने दफा 161 सीआरपीसी के तहत इसके बयान लेखबद्ध किये है जो निष्पक्ष अनुसंधान पर प्रश्नचिन्ह अंकित करते हुए अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाता है। इस पार्षद हेतराम सुथार को अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्ल्यू 05 की ओर से परीक्षित करवाया गया है जब हम इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण पर गौर करते है तो इसने स्वीकार किया है कि मोहल्ले के लोगों के कहने पर इसने प्रदर्श पी 04 बनाया था, परंतु न्यायालय में मोहल्ले के एक भी व्यक्ति को अभियोजन पक्ष ने परीक्षित नहीं करवाया हैं, जो इस बाद की ताईद करता हो, इसके अतिरिक्त परीक्षित स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

13. अधिनयम की धारा 15(1)(2) से संबंधित आज्ञापक प्रावधानों की पालना भी अन्वेषण एजेन्सी द्वारा नहीं की गयी है। यथा प्रावधान मुताबिक बिना वारन्ट के किसी स्थान की तलाशी तभी ली जा सकती है जबकि वारन्ट प्राप्त करने से अनुचित विलम्ब प्रतीत होता हो जिससे कि अभियुक्तगण के निकल भागने की संभावना हो, तब विशेष पुलिस प्राधिकारी सकारण अंकित करते हुए आगे बढेगा और कारण अनुसंधानिक पत्रावली में स्पष्ट किये जायेंगे, जब हम इस सबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी 01 के रचयिता पुलिस उपअधीक्षक वृत्त सूरतगढ मोहम्मद अयुब पीडब्लयू 12 तथा आसूचनाकर्ता सुरेश मील पीडब्ल्यू 16 के मुख्य परीक्षण पर गौर करते है तो एसा कोई स्पष्टीकरण उनके बयानो में नही दिया गया है कि तलाशी से पूर्व वारन्ट क्यों नहीं प्राप्त किया गया जबकि बचाव पक्ष के योग्य अधिवक्ता द्वारा न केवल इन दोनों

गवाहान से अपितु न्यायालय में परीक्षित करवाये गये जाब्ता के अन्य साक्षियों से भी विर्निदिष्ट रूप से यह प्रश्न पूछा है कि डिप्टी निवास के सामने ही न्यायिक मजिस्ट्रेट व प्रशासनिक अधिकारियों के आवास है और सभी ने इस बाबत स्वीकारोक्ति भी दी है उसके बावजूद तलाशी वारन्ट प्राप्त करने का प्रयास न करना अभियोजन पक्ष की कहानी को संदेहास्पद बनाता है और यह संदेह और भी अधिक गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि फर्द इत्तला प्रदर्श पी 06 समय 03 15 पीएम दिनांक 13–12–2015 को मोहम्मद अयुब पीडब्ल्यू 12 ने कसीद की है जिसके आधार पर वह अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त होना बताता है परन्तु इस फर्द में भी एसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि तलाशी वारन्ट क्यों नहीं प्राप्त किया जा सका जबकि स्वीकृत रूप से वार्ड नंबर 03 सूरतगढ में ओमप्रकाश बावरी एवं उसकी बहन सरोज बावरी द्वारा निरन्तर रूप से बाहर से औरतों को अपने घर पर बुलाकर वेश्यावृति करवाने की सूचना पुलिस एजेन्सी को लगातार प्राप्त होना बताया गया है न ही धारा 100 सीआरपीसी के प्रावधानों की पालना अन्वेषण एजेंसी द्वारा की गई है।

14. इसी प्रकार अधिनियम की धारा 15(2) का खुला उल्लंघन अन्वेषण एजेन्सी द्वारा किया गया है क्योंकि इस **प्रावधान के मुताबिक उपधारा 1 के अधीन तलाशी लेने से पूर्व पुलिस अधिकारी द्वारा उस परिक्षेत्र के जिसमें तलाशी लिये जाने वाला स्थान स्थित है दो या अधिक सम्मानित निवासियों को (जिनमें से कम से कम एक महिला होगी)** तलाशी के समय उपस्थित रहने एवं साक्षी होने को बुलाने के संबंध में लिखित में आदेश जारी करने के संबंध में प्रावधान किया गया है लेकिन जब हम अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य सामग्री पर गौर करते है तो यह स्वीकृत स्थिति है कि अभियुक्तगण के मकान के आस पास के लोगों अथवा किसी महिला को साक्षी के रूप में तलब नहीं किया गया है और ना ही तलाशी की कार्यवाही में उनकी मौजुदगी सुनिश्चित की गई है अपितु पुलिस जाब्ता के रास्ते में जाते वक्त डिग्री कॉलेज के पास स्वतः ही दो व्यक्तियों यथा जगजीवन सिंह एवं रामलाल उर्फ रामप्रकाश का मिलना और उन्हें स्वतंत्र गवाह के रूप में संयोजित कर मौके पर ले जाना अभियोजन पक्ष बताता है। बहरहाल यदि इस आवश्यक प्रावधान को भी नजरअंदाज कर दिया जावे तो भी कम से कम स्वतंत्र एक महिला गवाह को तो संयोजित किया ही जा सकता था परन्तु एसा भी नहीं किया गया है।

15. इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में दबिश, तलाशी, जब्ती एवं अन्वेषण विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया हो एसा भी कोई प्रमाण अभिलेख पर मौजुद नहीं हैं, जबकि अधिनियम

की मंशा मुताबिक कार्यवाही विशेष रूप से नियुक्त या प्राधिकृत पुलिस प्राधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिए थी इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत उनवानी पंकज बंसल बनाम राजस्थान राज्य एस0बी0 दाण्डिक प्रक्रीर्ण याचिका संख्या 878/2017 आदेश दिनांक 30–11–2017 के ससम्मान अवलोकन उपरांत हमारे विनम्र मत में इसमें प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण के उक्त कानूनी पहलू पर एकदम स्पष्ट सटीकता लिये हुए हैं सुविधा की दृष्टि से इसका सुसंगत पैरा ज्यों का त्यों यहाँ उद्धहरित किया जा रहा हैः–

Since the argument regarding the C.O. not being authorised under the PITA Act to conduct the search and seizure proceeding was not raised before the Courts below and has been advanced for (5 of 6) [CRLMP–878/2017] the first time in the instant misc. petition, this Court directed learned P.P. to file a reply to this averment made on behalf of the petitioner. Learned P.P. has filed a written reply wherein, though it is averred that Ms.Ranu Sharma, Circle Officer, P.S. Girwa was authorised to undertake search, seizure and investigation under the PITA Act but no document/notification has been filed in support of this bald assertion made in the reply. Since, a controversy has been raised about the incompetence of the police officer under the Special Act, existence of such authorisation has to be proved by a notification issued by the competent authority/Government as per the requirement of the Statute. However, the learned P.P. has failed to place on record, either with reply or during the course of arguments any notification whereby, the Court can be satisfied regarding Ms.Ranu Sharma C.O. having been authorised specially or generally to conduct search and seizure proceedings/police duties under the PITA Act. The Hon'ble Supreme Court considered the import of a similar provision in Ram Singh's case (supra) and held that the offence under the special Act can only be investigated by a special police officer and not by any police officer. The consequence of investigation by an officer not specially appointed/authorised under the Act was held to be vitiating the search and seizure proceedings. Similar view has been

taken by the High Court of Kerala in various judgments relied upon by Shri Kotwani.

16. प्रश्नगत मामले में स्वीकृत रूप से दबिश, तलाशी, जब्ती, बरामदगी करने वाला मोहम्मद अयूब एवं अन्वेषण अधिकारी नारायण सिंह पुलिस निरीक्षक दोनों ही अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु विशेषतः प्राधिकृत किये गये हो, इस संबंध में कोई प्रमाण हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया हैं अतः कानूनी रूप से तो अभियोजन पक्ष का मामला पूर्णतः शिथिल होना साबित हैं।

17. उपरोक्त विधिक स्थिति की विवेचना उपरान्त जब हम तथ्यात्मक रूप से अभियोजन साक्ष्य का परिशीलन एवं विश्लेषण करते है तो हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 15(2) के तहत संयोजित बताया गया साक्षी रामलाल उर्फ रामप्रकाश पीडब्ल्यू 02 के रूप में न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है जो कि पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने अभियोजन पक्ष की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है अपितु अभियोजन पक्ष के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श पी 01 गिरफतारी जामा तलाशी व बरामदगी पर ही पुलिस थाना में पुलिस द्वारा हस्ताक्षर करवाये जाने संबंधी साक्ष्य इसने प्रकट की है। इसी प्रकार स्वतंत्र साक्षी के रूप में परीक्षित करवाया गया साक्षी रायपाल पुत्र बिहारीलाल पीडब्ल्यू 13 भी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुआ है। इसने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है।

18. अब अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये पुलिसकर्मी जाब्ता साक्षी व अन्वेषण अधिकारी की साक्ष्य पर जब हम गौर करते है तो इनकी साक्ष्य में भी अत्यन्त ही गंभीर एवं घोर विरोधाभास देखने में आया है। यथा अभियोजन साक्षी योगेश कुमार पीडब्ल्यू 01 रणवीर सिंह पीडब्ल्यू 03 रामकुमार पीडब्ल्यू 06 हनुमान पीडब्ल्यू 09 जिन्द्रपाल पीडब्ल्यू 10 रामावतार पीडब्ल्यू 11 स्वयं डिप्टी एसपी मोहम्मद अयुब पीडब्ल्यू 12 एवं सुरेश मील पीडब्ल्यू 16 के मुताबिक जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अन्दर प्रवेश किया तब महिला एवं पुरूष नग्न अवस्था में पाये गये थे परन्तु जब हम जाब्ता कि महिला पुलिसकर्मी साक्षी दलजीत कौर पीडब्ल्यू 07 जिसने महिला अभियुक्ता की तलाशी मोहम्मद अयुब पीडब्ल्यू 12 के कहने से ली थी ने, से बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण पर हम गौर करते हैं, तो इसने अपने प्रतिपरीक्षण में नीचे से उपर की ओर पांचवी पंक्ति में यह बात स्वीकार की है कि इसनें मौके पर किसी को भी नग्न अवस्था में नहीं देखा था। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित साक्षियों की साक्ष्य में इस संबंध में भी गम्भीर

विरोधाभास है कि मौके पर पुलिस द्वारा किसी बोगस ग्राहक को मकान के अन्दर भेजा गया था अथवा नहीं। जहां कुछ साक्षी बोगस ग्राहक को भेजना बताते है वहीं कुछ साक्षी बोगस ग्राहक मौके पर नहीं भेजना बताते है।

19. सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो मोहम्मद अयुब पीडब्ल्यू 12 की साक्ष्य से निकलकर सामने आया है वह इस प्रकार है कि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में उपर से नीचे की ओर 21 वी पंक्ति में यह स्वीकार किया है कि जिस मकान में यह अपनी टीम को लेकर गया था उसके आस पास और भी मकान थे परन्तु इसने अडोसी पडोसियों को नहीं बुलाया था अर्थात स्वयं विधिक प्रावधान की अवहेलना इसने स्वीकार की है क्योंकि स्वयं इसके मुताबिक अडोसी पडोसियों को बुलाने का प्रयास भी इसके द्वारा नहीं किया गया है। स्वतंत्र साक्षियों को मौके की कार्यवाही मे सम्मिलित क्यों नहीं किया गया यह स्थिति यह साक्षी स्पष्ट नहीं कर पाया है।

20. इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष के दोनो महत्वपूर्ण साक्षी यथा सुरेश मील पीडब्ल्यू 16 जिसे अभियुक्तगण के सन्दर्भ में आसुचना संकलन हेतु मोहम्मद अयुब पीडब्ल्यू 12 ने नियोजित किया था इन दोंनों की साक्ष्य में भी घोर विरोधाभास सामने आया है। यथा जहां एक ओर मोहम्मद अयुब पीडब्ल्यू 12 अपने प्रतिपरीक्षण के प्रारम्भिक चरण में उपर से नीचे की ओर छठवी पंक्ति में यह कथन करता है कि उसकी गाडी ड्राईवर जसकरण सिंह चला रहा था वहीं दूसरी ओर सुरेश मील ने अपने प्रतिपरीक्षण के अंतिम चरण में नीचे से उपर की ओर पांचवी पंक्ति में यह कथन किया है कि डिप्टी साहब वाली गाडी मुस्लिम लडका चला रहा था।

21. अन्वेषण एजेन्सी द्वारा स्वीकृत रूप से मौके पर सहवास करते हुए किसी को भी रंगे हाथों नही पकडा गया है ना ही सहवास के सबंध में पकडे गये अभियुक्तगण का कोई मेडिकल मुआयना करवाया गया है। जो राशि अन्वेषण एजेन्सी अभियुक्तगण से वेश्यावृति तथा उसके कमीशन के तौर पर बरामद व जब्त करना बताती है वह राशि सामान्य तौर पर प्रचलित मुद्रा है जो हर किसी के पास होना स्वाभाविक है। एसी कोई राशि जो बतौर बोगस ग्राहक जब्तीकर्ता पुलिस प्राधिकारी ने बोगस ग्राहक के माध्यम से वेश्यावृति की सूचना का सत्यापन करवाने हेतु भिजवायी हो। वह भी बरामद नहीं है क्योंकि सूचना सत्यापन का कार्य ही बोगस ग्राहक के माध्यम से अन्वेषण एजेन्सी द्वारा नहीं करवाया गया है।

22. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण की रोशनी मे अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत एवं परीक्षित करवायी गयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना तथा विश्लेषण उपरान्त इस

न्यायालय की सुदृढ राय में अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित कर पाने में पूर्णतः असफल रहा है कि दिनांक 13–12–2015 समय करीब 03 50 पीएम या इसके लगभग वार्ड नंबर 03 सूरतगढ में अभियुक्ता सरोज के मकान को अभियुक्तगण सरोज एवं ओमप्रकाश द्वारा वेश्यागृह के रूप मे तथा अन्य स्त्रियों को तलब कर वेश्यावृति करवाकर अथवा वेश्यावृति हेतु अन्य स्त्रियों को उत्प्रेरित कर वेश्यावृति से उपार्जित धन पर अपना जीवन निर्वाह किया जा रहा हो। एसे में इस संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

––आदेश––

23. अतः अभियुक्तगण **1. सरोज पत्नी पप्पुराम पुत्री सुखराम, निवासी वार्ड नं. 3 हैड के पास सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर 2. ओमप्रकाश पुत्र सुखराम, निवासी रामपुरा रंगमहल पीएस पीलीबंगा जिला हनुमानगढ** को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा– 3, 4, 5 अनैतिक देह व्यापार(निवारण अधिनियम 1956) में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके तुरंत निरस्त किये जाते हैं ।

24. प्रकरण में अभियुक्तगण फिरोज खां व सुरेश कुमार को अपराध अंतर्गत धारा 3, 4, 5 व 6 आदेशिका दिनांक 20.02.2019 के माध्यम से उन्मोचित किया जा चुका है। प्रकरण में अभियुक्ता नेहा मफरूर है। अतः पत्रावली के सरबरक पर अभियुक्ता के मफरूर होने व पत्रावली का कोई भाग नष्ट न किए जाने का अंकन लाल स्याही से मोटे अक्षरों में अंकित हो।

(मनमोहन चंदेल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

25. निर्णय आज दिनांक 07.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। जो अविलंब सीआईएस पर स्टेनों अपने प्रमाण पत्र के साथ अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।

RAMANDEEP KOUR
"Authenticated Document" Steno Gr III
Digitally signed by RAMANDEEP KOUR
Date: 2026.07.08 11:37:47 +0530

(मनमोहन चंदेल)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर